दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/503 15/09/2025

प्रति

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य/ सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

<u>विषय: भारत-चिली सीईपीए के लिए उत्पाद विशिष्ट नियमों (पीएसआर) पर इनपुट/टिप्पणियों के संबंध में</u>

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर चल रही बातचीत के लिए 131 प्लास्टिक उत्पाद लाइनों (संलग्नक देखें) के पीएसआर पर टिप्पणियां या इनपुट आमंत्रित किए हैं।

उत्पाद विशिष्ट उत्पत्ति नियम, मुक्त व्यापार समझौते के प्रावधानों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो हस्ताक्षरकर्ता देश के क्षेत्र के भीतर मूल्य संवर्धन के स्वीकार्य स्तर को सुनिश्चित करते हैं, ताकि तीसरे पक्ष के देशों द्वारा इस समझौते के दुरुपयोग को रोका जा सके।

आम तौर पर, उत्पत्ति के ये नियम हस्ताक्षरकर्ता देश के क्षेत्र के भीतर मूल्य संवर्धन का न्यूनतम प्रतिशत निर्दिष्ट करते हैं, इसके अलावा अन्य मानदंड जैसे टैरिफ उप शीर्षक (सीटीएसएच) या टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) में परिवर्तन या अध्याय में परिवर्तन (सीसी) या माल को एचएस कोड के आधार पर विशिष्ट रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरना चाहिए।

इस संबंध में आपके सुझाव यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित व्यापार समझौते से दोनों देशों के उद्योगों को लाभ होगा, साथ ही इस समझौते के गैर-सदस्यों द्वारा व्यापार में गड़बड़ी या विक्षेपण को भी रोका जा सकेगा।

यदि आपको किसी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो, तो कृपया हमसे निम्नलिखित पते पर संपर्क करें: nilotpal@plexconcil.org ; bharti@plexconcil.org ; research@plexconcil.org

सदस्यों से अनुरोध है कि वे कल (16 सितंबर, 2025) तक अपने इनपुट/टिप्पणियाँ भेजें।

सादर,
भारती परवे
उप निदेशक – व्यापार एवं नीति
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद